

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

 सं.	25]	नई दिल्ली, जुलाई 3—जुलाई 9, 2016, शनिवार/आषाढ़ 12—आषाढ़ 18, 1938
No.	. 25]	NEW DELHI, JULY 3—JULY 9, 2016, SATURDAY/ ASADHA 12— ASADHA 18, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुन, 2016

- **सा.का.नि. 118.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में स्टॉफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) स्टॉफ कार चालक (विशेष श्रेणी) भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

3201 GI/2016 (763)

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable	Two years	Direct recruitment
i. 10 th Class Pass from a recognised Board or	11	,	
equivalent			
ii. A certificate/diploma in catering from			
recognised Institute.			
iii. One year's experience in Tea or Coffee			
making in canteen or recognised Institution.			
iv. A Skill test for cooking including maintenance			
of hygienic etc. shall be conducted			
Note 1 The qualifications regarding experience is or are			
relaxable at the discretion of the competent authority in			
case of candidate belong to the Scheduled Castes or			
Schedules Tribes if, at any stage of selection the			
competent authority is of the opinion that sufficient			
number of candidates belonging to theses communities			
possessing the requisite experience are not likely to			
available to fill up the vacancies reserved for them.			
Note 2 Vacancies for direct recruitment in canteen shall			
be circulated simultaneously to the local employment			
exchange and other offices and establishments of the			
Central Govt. where departmental canteens are			
functioning.			

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group `C' Departmental Promotion Committee for probation and confirmation consisting of	Not applicable
	Additional Director or Scientist 'E', the Central Water and Power Research Station - Chairman	
	Scientist 'D' or Scientist 'C', the Central Water and Power Research Station - Member	
	A Group 'A' officer from some other Department of the Central Government Member	
	Chief Administrative Officer or Administrative Officer, the Central Water and Power Research Station - Member	

[F. No. 2/1/2006-E.II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

- सा.का.नि.121.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (कारखाना प्रबंधक) भर्ती नियम, 1965 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में कारखाना प्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कारखाना प्रबंधक भर्ती नियम, 2016 है |
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |
- **2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

- **5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |
- **6. व्यावृत्ति.** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है |

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कारखाना प्रबंधक	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड -3, 15600-39100 रु. +ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनिधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
	(7)	(8)	(9)
आवश्यव	Б (-	लागू नहीं होता	एक वर्ष
(i)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्मजीव विज्ञान में या औषधीय रसायन विज्ञान में मास्टर ।		
(ii)	मानव उपयोग के जैविक उत्पादों के विनिर्माण और परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव ।		
वांछर्न	ोय :-		
(i)	कुशल और अकुशल मजदूरों को संभालने में तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव ;		

(ii) रासायनिक इंजीनियरी में डिप्लोमा और उपकरणों के निर्माण का ज्ञान ;	
(iii) भंडार लेखा का तीन वर्ष का अनुभव ।	
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो	
लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर	
केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध	
होने की सम्भावना नहीं है ।	

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता ।	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी – (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		होंगे :- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	करना आवश्यक है।

[सं. ए-12018/08/14-ई पी आई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th June, 2016

- **G.S.R. 121.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Factory Manager) Recruitment Rules, 1965 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Factory Manager in the Central Research Institute, Kasauli, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Factory Manager, Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of post, classification, pay band, grade pay and pay scale.—The number of said post, its classification pay band, grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.**—No persons,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the scheduled castes, the scheduled tribes, the other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Factory Manager.	1* (2016) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-3, Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.5400.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 35 years.	Essential:	Not applicable.
(Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(1) Master of Science in Microbiology or in Pharmaceutical Chemistry from a recognised University or Institute.	
Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications	(2) One year experience in the manufacturing and testing of biological products of human use.	
from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal	Desirable:	
Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir	(i) Three years' Administrative experience in handling skilled and unskilled labour;	
State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman	(ii) Diploma in Chemical Engineering and knowledge of fabrication of equipments;	
and Nicobar Islands or Lakshadweep.	(iii) Three years' experience of Stores Accounting.	
	Note 1. Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the	

reasons to be recorded in writing, in case of candidate otherwise well qualified.	
Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Schedules Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the Vacancies reserved for them.	

Period of	Method of recruitment whether by direct	In case of	If a Departmental	Circumstances
Probation	recruitment or by promotion or by deputation or	recruitment by	Promotion Committee	in which
if any.	absorption and percentage of the posts to be filled	promotion or	exists, what is its	Union Public
	by various methods.	deputation/absorption	composition.	Service
	•	grades from which	-	Commission
		promotion or		is to be
		deputation/		consulted
		absorption to be		making
		made.		recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
One year.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'A' Departmental	Consultation
	Note 1: Vacancy caused by the incumbent being		Confirmation Committee	with the
	away on deputation or long illness or study leave		consisting of:	Union Public
	or under other circumstances for duration of one			Service
	year or more may be filled on deputation basis		1. Joint Secretary,	Commission
	from officers of Central Governments.		Ministry of Health and	is necessary.
	(a) holding analogous post on regular basis in the		Family Welfare	
	parent cadre or department; and		- Chairman	
	(b) possessing the qualifications and experience			
	prescribed for direct recruits under column (7).		2. Additional Director	
			General, Directorate	
	Note 2: The period of deputation including the		General of Health	
	period of deputation in another ex-cadre post held		Services -Member	
	immediately preceding this appointment in the			
	same or some other organization or department of		3. Director	
	the Central Government shall ordinarily not		(Administration and	
	exceed three years. The maximum age limit for		Vigilance) Directorate	
	appointment by deputation shall be 'not exceeding		General of Health	
	56 years' as on the last date of receipt of		Services -Member	
	applications.			

[No. A-12018/08/2014-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सा.का.नि.122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय अनाज भंडारण संस्थान, हापुड़ (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969, एवं खाद्य विभाग, अन्न बचाओ अभियान संगठन (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1976, जहां तक उनका संबंध क्रमश: किनष्ठ लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण अनुसंधान प्रभाग, अवर श्रेणी लिपिक वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।